Schemes Launched on the world elders day

1664. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:
SMT. VEENA VERMA:
SHRI SUSHIL KUMAR SAMBAJI RAO SHINDE:

Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) the schemes and programmes launched by Government on the World Elders' Day;

(b) whether an habitation and travel facilities are proposed to be provided to the destituleaged persons, especially women; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINSITER OF WELFARE (SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA): (a) No new schemes and programmes were launched by the Government on the World Elders' Day, 1996.

(b) and (c) The Minsitry of Welfare's scheme of assistance to country organisaitons for programmes relating to the Welfare of the aged provides for grants-in-aid to non-Government organisations for establishing and maintaining old age homes, day care centres and mobile medicare units for the elderly.

The Ministry of Railways grants 25% concession in second class and sleeper class Mail/Express fares to senior citizens of the age 65 years and above. This concession is admissible for all citizens irrespective of their sex and financial status. Indian Airlines provides 50% air-discount on fares to aged persons, including women, of the age of 65 years and above, under its senior citizens Discount Schemes.

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास निगम को आवंटित गई निधियां

1665. **श्री अजीत जोगी:**
श्री एस० एस० सुरजेवाला:

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास निगम को कि धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) गत वित्तीय वर्ष के दौरान यह धनराशि राज्य-किस प्रकार वितरित की गई;

(ग) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां रा अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम गठित किये गए तथा इन निगमों के सदस्य कौन-कौन है;

(घ) अन्य राज्यों में ऐसा निगमं गठित करने के लि केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं;

(ङ) क्या पिछले वर्ष आवंटित की गई धनराशि का पू उपयोग कर लिया गया है; और

(च) यदि हां, तो लाभभोगियों की राज्य-वार संख कितनी-कितनी है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) (क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम को आ तक की प्रदत्त शेयर पूंजी 104.00 करोड़ रुपए है। इसमें केन्द्रीय सरकार निगम को शेयर इक्विटी पूंजी के लि 89.00 करोड़ रुपए प्रदान किए जा चुके हैं।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण दिया गया है। (नी देखिए)

(ग) राज्य अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगमों क स्थापना उत्तर प्रदेश, बिहार, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक तथा मध्य प्रदेश में की जा चुकी है। क्योंकि ये निगम अपनी संबंधित राज्य सरकारों की पूर्ण रूप से स्वामित्व वाली कम्पनियां हैं, इसलिए इन निगमों के सदस्य का गठन राज्य सरकारें करती है।

(घ) अन्य राज्यों में ऐसे निगमों की स्थापना करन संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम ने शीर्ष निकाय होने के कारण राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी है कि वह राज्य अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगमों की स्थापना करें।

(ङ) जी, नहीं।

(च) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।